

18.01.2021

पत्रावली पेश हुई। मन्दिर श्री गिरिज जी महाराज मन्दिर दानघाटी गोवर्धन मधुरा के मुनीम श्री अशोक कुमार कौशिक द्वारा बताया गया कि बहुत से ठेकेदारों द्वारा ठेके की पूर्ण धनराशि मन्दिर के खाते में जमा नहीं करायी गयी है, जो उन पर बकाया है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि श्री मधुरा दास शर्मा पर माह अक्टूबर 2019 के मु० 8,01,000/- रुपये, श्री इरीशकर शर्मा पर माह मार्च 2020 के मु० 25,05,000/- रुपये, श्री गोविन्द कौशिक पर माह मार्च 2020 के मु० 1,56,000/- रुपये तथा श्री योगेश कौशिक पर माह नवम्बर 2020 के मु० 85,000/- रुपये बकाया है जिनमें से ठेकेदार श्री इरीशकर शर्मा एवं श्री गोविन्द कौशिक द्वारा प्रस्तुत भुगतान में छूट हेतु प्राथनापत्र लम्बित है।

मन्दिर की प्रशासनिक समिति द्वारा दी गयी आख्यानुसार ठेकेदार श्री मधुरादास शर्मा, श्री इरीशकर शर्मा, श्री गोविन्द कौशिक एवं योगेश कौशिक को, उन पर बकाया धनराशि मन्दिर के खाते में जमा करने तक, ठेके की कार्यवाही में भाग लेने से निषेधित किया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन एवं माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सामान्य परिषद एवं विशेष परिषद एवं धारा 151 सी०पी०सी० के अनुसरण में आगामी माह फरवरी, 2021 में भगवान श्री गिरिज जी महाराज के दर्शन एवं परिक्रमा हेतु आने वाले भारत एवं विश्व के अन्य देशों के लाखों श्रद्धालुओं को कोई असुविधा कासित न हो इस कारण निम्नलिखित आदेश पारित किया जा रहा है-

आदेश

भगवान श्री गिरिज जी महाराज मन्दिर दानघाटी, गोवर्धन, मधुरा का भेंट ठेका दिनांक 25.01.2021 को समय 11.00 बजे दिन सोमवार एवं उक्त मन्दिर की शाखा भगवान श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर स्थित दानघाटी, गोवर्धन, मधुरा का भेंट ठेका दिनांक 25.01.2021 को समय 02.00 बजे दिन सोमवार इस न्यायालय में कराया जाना है। इच्छुक ठेकेदार समय पर पहुंच कर नीलामी की बोलों में भाग लें। समय के उपरांत आन पर बोलों बोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी। उक्त दोनों ठेकों की भेंट की अवधि दिनांक 01.02.2021 की मध्य रात्रि से दिनांक 28.02.2021 की मध्य रात्रि तक रहेगी। उक्त दोनों ही मन्दिरों के भेंट ठेके की प्रमुख नियम व शर्तें निम्नलिखित हैं-

- 1- भगवान श्री गिरिज जी महाराज मन्दिर दानघाटी गोवर्धन मधुरा एवं उक्त मन्दिर की शाखा भगवान श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर स्थित दानघाटी गोवर्धन मधुरा का भेंट ठेका माह फरवरी 2021 अवधि में केन्द्रीय सरकार उ०प्र० सरकार द्वारा जारी गाइड लाईन एवं नियमों का अनुपालन किया जायेगा।
- 2- भगवान श्री गिरिज जी महाराज मन्दिर दानघाटी गोवर्धन मधुरा का भेंट ठेका माह फरवरी 2021 हेतु दिनांक 25.01.2021 को न्यूनतम बोली मु० 50,00,000/- (पचास लाख रुपये) से प्रारम्भ की जायेगी।
- 3- भगवान श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर स्थित दानघाटी गोवर्धन मधुरा का भेंट ठेका माह फरवरी 2021 हेतु दिनांक 25.01.2021 को न्यूनतम बोली मु० 50,000/- (पचास हजार रुपये) से प्रारम्भ की जायेगी।
- 4- दोनों ठेकों की बोली में प्रत्येक ठेकेदार आधार कार्ड की प्रमावित प्रति तथा बैंकबुक साथ लेकर आयेगे। यहां बैंक की संख्या इस कारण नहीं लिखी गयी है क्या के अगर गलत प्रकृति ठेकेदार द्वारा कर दी गयी तब नवीन बैंक प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न होगी।
- 5- उक्त दोनों ही ठेकों का कार्यभार गृहण करने से पूर्व जो धनराशि निर्धारित की जायेगी प्रत्येक का पचास प्रतिशत दिनांक 01.02.2021 तक प्रत्येक परिस्थिति में जमा करना होगा तथा शेष पचास प्रतिशत दिनांक 15.02.2021 तक प्रत्येक परिस्थिति में जमा करना होगा। उक्त धनराशि ठेकेदार द्वारा जमा न करने पर ठेका स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 6- उक्त दोनों ही ठेकों के दोनों ही बैंक अविनियत जमा करने होंगे। प्रथम बैंक जो आधी धनराशि का होगा उसको दिनांक 01.02.2021 तक सम्बन्धित बैंक से Clear कराना अनिवार्य होगा। द्वितीय बैंक जो शेष धनराशि का होगा उसको दिनांक 15.02.2021 तक सम्बन्धित बैंक से Clear करना अनिवार्य होगा, ऐसा न होने पर ठेका स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 7- जो भी ठेकेदार उक्त दोनों ही ठेकों की नीलामी की कार्यवाही में सम्मिलित होंगे उनको पांच लाख रुपये की धनराशि बतौर जमानत बोली लगने से पूर्व जमा करानी होगी।

8- अन्तिम बोली परचाय जिसको टेकेदार को चार्ज दिया जाना है, उसको रु० 1,00,000/- (एक लाख रुपये) का डिमाण्ड ड्राफ्ट भी जमा करना होगा। टेकेदार चाय डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा न करने पर टेका खराबी की निस्तार माना जाएगा।

9- बोली इस प्रकार लगायी जायेगी, भगवान श्री गिरोज जी महाराज मन्दिर दानघाटी गोवर्धन मथुरा के भेंट टेका हेतु रु० 50,00,000/- (पचास लाख रुपये) से ऊपर बोली का प्रारम्भ किया जायेगा। जैसे ही कोई आवेदक उस बोली की धनराशि को चुनीली देगा तब नवीन धनराशि की बोली लगायी जायेगी। अतः में जो अधिकतम धनराशि बोलेगा, उसको प्रस्तावित रूप से टेकेदार का चार्ज दिया जायेगा।

10- बोली इस प्रकार लगायी जायेगी, भगवान श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर स्थित दानघाटी गोवर्धन मथुरा के भेंट टेका हेतु रु० 50,000/- (पचास हजार रुपये) से ऊपर बोली का प्रारम्भ किया जायेगा जैसे ही कोई आवेदक उस बोली की धनराशि को चुनीली देगा तब नवीन धनराशि की बोली लगायी जायेगी। अतः में जो अधिकतम धनराशि बोलेगा, उसको प्रस्तावित रूप से टेकेदार का चार्ज दिया जायेगा।

11- पूर्व में कुछ टेकेदार बोली लगाने समय विचार-विमर्श करने के आधार पर न्यायालय कक्ष छोड़ कर चले आते थे, ये परम्परा सर्वदा अनुचित है एवं नियम का उल्लंघन है, जब तक विवेका की घोषणा नहीं हो जायेगी कोई टेकेदार न्यायालय से लिखित अनुमति के बगैर न्यायालय कक्ष नहीं छोड़ेगा। टेकेदार के बाहर न्यायालय कक्ष छोड़ने से पारदर्शिता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं कुछ व्यक्तियों को अनावश्यक टीका-टिप्पणी करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। अतः जो भी विचार-विमर्श करना है वह न्यायालय कक्ष में ही किया जाएगा क्योंकि Auction का सिद्धान्त है कि जिसने प्रक्रिया के दौरान कक्ष छोड़ा उसको उन्हीं आधार पर Disqualify माना जाता है। इसलिये सभी टेकेदार उपरोक्त नियम का पालन करें।


12- किसी भी अन्तिम बोली को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार इस न्यायालय को होगा।

13- कोर्ट परिसर में प्रवेश करने से पूर्व टेकेदारों एवं मन्दिर कर्मचारियों को अपने हाथ सेनेटाईज करने होंगे एवं मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

14- बोली के दौरान कोर्ट परिसर में टेकेदार के साथ मात्र दो सहयोगी ही न्यायालय कक्ष में उपस्थित हो सकते हैं तथा वे सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखेंगे।

उपरोक्त शर्तों के अधीन सभी सम्बन्धित जो यह सूचित किया जाता है कि भगवान श्री गिरोज जी महाराज मन्दिर दानघाटी गोवर्धन मथुरा का भेंट टेका की कार्यवाही दिनांक 25.01.2021 को 11.00 बजे से एवं भगवान श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर स्थित दानघाटी गोवर्धन मथुरा के भेंट टेका की कार्यवाही दिनांक 25.01.2021 को 02.00 बजे से निष्पादित की जायेगी। नजारात अनुभाग जनपद न्यायालय मथुरा समुचित व्यवस्था करने का प्रबन्ध करें। जिनको सूचना प्रेषित की गयी, उनका विवरण निम्नांकित है। सभी सम्बन्धित सूचित हों।

दिनांक-18.01.2021


सिविल जज, सीनियर डिवीजन,
मथुरा।

प्रतिलिपि-

- 1- न्यायालय के वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 2- सूचना अधिकारी मथुरा को समस्त स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
- 3- नोटिस बोर्ड दीवानी न्यायालय परिसर, मथुरा।
- 4- नोटिस बोर्ड जिलाधिकारी, मथुरा।
- 5- नोटिस बोर्ड जिला पंचायत, मथुरा।
- 6- नोटिस बोर्ड तहसील गोवर्धन, मथुरा।
- 7- नोटिस बोर्ड होलीगेट, मथुरा।
- 8- नोटिस बोर्ड नगर निगम, मथुरा।
- 9- नोटिस बोर्ड जिला न्यायाधीश कार्यालय, मथुरा।
- 10- नियो चैनल मथुरा को निःशुल्क प्रचार प्रसार हेतु।
- 11- नोटिस बोर्ड मन्दिर दानघाटी, मथुरा।
- 12- नजारात अनुभाग जिला न्यायालय, मथुरा।